

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/96/2010/1090


भोपाल, दिनांक 13-8-10

// संशोधन आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/96/2010/934-935 दिनांक 31.7.2010 के सरल क्रमांक 1 पर श्रीमती अणिका शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (इतिहास) शा.उ.मा.वि. मवई जिला टीकमगढ का नगरपालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर शा.उ.मा.वि. माधवगंज क्र. 2 में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

आवेदिका द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं नगरपालिका परिषद विदिशा द्वारा जारी संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 3278 दिनांक 22.07.2010 के आधार पर आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती शर्मा को शा.उ.मा.वि. बरई जिला विदिशा में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


13/8/10
उप संचालक


लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 13-8-10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए/96/2010/1091

प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला टीकमगढ/विदिशा मध्यप्रदेश।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ जिला टीकमगढ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद विदिशा जिला विदिशा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ/विदिशा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित - श्रीमती अणिका शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (इतिहास) शा.उ.मा.वि. मवई जिला टीकमगढ की ओर सूचनार्थ।


13/8/10
उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश